आय का घोषणा पत्र

(पिता / माता / पित / पत्नी / संरक्षक द्वारा भरा जायेगा) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में वर्ष 2017—18 के लिए

प्रारूप भाग-I

	1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता / माता / पित / पत्नी / संरक्षक) का नाम				
पिता / पति का नाम श्रीआयुवर्षमाह २. निवास स्थान का पूर्ण पता:–					
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:—					
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीर्प	(जो स्पष्ट अंकित हो)				
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर					
	:(जो स्पष्ट अंकित हो)				
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः— (सम्बधित पर चिन्हित					
करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जार					
(1) कृषि भूमि() आदि से आयः रू	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू				
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार,				
आदि से आयः रू	व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आयः रू				
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.	कुल वार्षिक आयः रू.				
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण	मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।				
दिनांक					
हस्ताक्षर					
आय की घोषणा करने वाले का नाम मय विद्यार्थी से सम्बंध					
प्रारूप भाग—II					
(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)					
हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राधियाँपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री					
निवासीको भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं					
हम साक्षा है। हमारा जानकारा म उक्त वागत आयं के अलावा प्राथा / प्राथिया के पास आयं का काई अन्य स्त्रात नहां है।					
्। (1) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति	(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति				
का नाम	का नाम				
गद नाम, दिनांक मय मो.न.) (पद नाम, दिनांक मय मो.न.)					
नोट :-(उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद					
सदस्य / सरपंच / वार्ड पंच / महापौर / उप महापौर / नगर निगम / नगर पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद / वार्ड					
	निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)	निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)					
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प	II (शपथ –पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू ग गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री भेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राख्याः । उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख्यौर न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रालत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल व	II (शपथ –पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रूआ गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रगलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. ा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश है भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रालत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। व	II (शपथ –पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रूआया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश है भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं में , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीमेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रावहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फोजदारी मुकदमा	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. ा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश है भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रालत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। व	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रूआया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं में , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीमेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फोजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. या गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं में , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर				
मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीमेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फोजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।	II (शपथ –पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. या गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं तं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मेंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीमेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रार्थत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. या गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं में, यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता [V(प्रमाणीकरण)				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मेंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीमेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रार्थत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रारूप भाग—I उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. शा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसमें अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं में , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता [V(प्रमाणीकरण)				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रावहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रारूप भाग—I उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)	II (शपथ -पत्र)				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मेंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीमेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्राव्याः है। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रार्थत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रारूप भाग—I उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)	II (शपथ -पत्र)				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रावहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रारूप भाग—I उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. शा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। त्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश हैं भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं नें , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता [V(प्रमाणीकरण)ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार रा की गई है। हस्ताक्षर				
मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।) प्रारूप भाग—I मैंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रावहै। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिख और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ प्रात्नत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। प्रारूप भाग—I उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम)	II (शपथ -पत्र)शपथपूर्वक उद्घोषणा करता / करती हूँ कि तों से कुल वार्षिक आय रूअक्षरे रू. शा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। शत में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर पेश से भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं ने , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता [V(प्रमाणीकरण)				

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायबतहसीलदार / नगर निकायों के अधिकारी / राजपत्रित अधिकारी / अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक / ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर